

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717] No. 717] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 7, 2016/आश्विन 15, 1938 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 2016/ASVINA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 976(अ).—औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियम, औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946 (1946 का 20) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अविध की समाप्ति से पूर्व उससे संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना में सा.का.नि. सं. 764 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 4 अगस्त, 2016 को उपलब्ध कराई गई थी;

उक्त प्रारुप नियमों पर आम जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है; अत: केंद्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम,1946 (1946 का 20) की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (क) और (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 2016 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 (1946 का 20) की अनुसूची की मद 1 में, अंत में आने वाले "बदली" शब्द के पश्चात, "परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
- (3) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में-

4792 GI/2016 (1)

- (क) नियम 5 में, मद (6) के पश्चात निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-
- "(6क) परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकारों की संख्या;";
 - (ख) अनुसूची 1 में,
 - (i) पैरा 2 में
 - (क) उप-पैरा (क) में, मद (3) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत-स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
 - "(3क) परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अवधि नियोजन कर्मकार";
 - (ख) उप-पैरा (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- '(ज) कोई "परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अविध नियोजन कर्मकार" एक ऐसा कर्मकार है जिसे नियत अविध के लिए ठेकागत नियोजन आधार पर लगाया गया है। तथापि, उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे किसी स्थाई कर्मकार से कम नहीं होंगे। वह, स्थायी कर्मकार के लिए उपलब्ध सभी कानूनी लाभों को भी उसके द्वारा की गई सेवा की अविध के अनुसार आनुपातिक रूप से प्राप्त करने का पात्र होगा, भले ही उसकी नियोजन की अविध कानून में अपेक्षित अर्हक नियोजन की अविध तक नहीं बढ़ाई जाती है।";
- (ii) पैरा 13 में उप-पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अध्यधीन कोई भी अस्थायी कर्मकार चाहे वह मासिक मजदूरी दर पर, साप्ताहिक मजदूरी दर पर या मात्रानुपातिक दर पर हो, और ठेकागत या नियोजन का नवीकरण न होने अथवा इसके समाप्त हो जाने के परिणामस्वरूप कोई भी परिवीक्षाधीन अथवा बदली अथवा परिधान विनिर्माण सेक्टर में नियत अविध नियोजन कर्मकार यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, किसी सूचना या उसके बदले में वेतन का हकदार नहीं होगा:

परन्तु किसी अस्थायी कर्मकार की सेवाएं तब तक दंड के रूप में समाप्त नहीं की जाएंगी जब तक उसे अपने विरूद्ध अभिकथित कदाचार के आरोपों को पैरा 14 में विहित रीति से स्पष्ट करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो ।"।

[फा. सं. एस-12011/1/2016-आईआर (पीएल)]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना. सा.का.िन. संख्या एलआर 11(37) तारीख 18 दिसम्बर, 1946 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार उसमें अधिसूचना सा.का.िन सं.655(अ) तारीख 10 अक्तूबर, 2007 तथा शुद्धिपत्र अधिसूचना सं. सा.का.िन 708(अ) तारीख 13 नवम्बर, 2007 द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2016

G.S.R. 976(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946 were published, as required by sub-section (1) of section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), in the notification of the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 764(E) dated 4th August, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), for inviting objections and

suggestions from all persons likely to be affected thereby on or before the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 4th August, 2016;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 15 of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, namely:-

- **1.** (1) These rules may be called the Industrial Employment (Standing Orders) Central (Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946), in the Schedule, in item 1, after the word "badlis" occurring at the end, the words ", fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector" shall be inserted.
- 3. In the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946,-
 - (a) in rule 5, after item (6) and the entries relating thereto, the following item shall be inserted, namely:-
 - (6A) Number of fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector;";
 - (b) in Schedule 1,—
 - (i) in paragraph 2,—
 - (A) in sub-paragraph (a), after item (3) and the entry relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-
 - "(3A) fixed term employment workmen in apparel manufacturing sector";
 - (B) after sub-paragraph (g), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
 - '(h) A "fixed term employment workman in apparel manufacturing sector" is a workman who has been engaged on the basis of contract of employment for a fixed period. However, his working hours, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent workman. He shall also be eligible for all statutory benefits available to a permanent workman proportionately according to the period of service rendered by him even though his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the statute.";
 - (ii)in paragraph 13, for sub-paragraph 2, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) Subject to the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), no temporary workman whether monthly rated, weekly rated or piece rated, and no probationer or badli or fixed term employment workman in apparel manufacturing sector, as a result of non-renewal of contract or employment or on its expiry, shall be entitled to any notice or pay *in lieu* thereof, if his services are terminated:

Provided that the services of a temporary workman shall not be terminated as a punishment unless he has been given an opportunity of explaining the charges of misconduct alleged against him in the manner prescribed in paragraph 14."

[F. No. S-12011/1/2016-IR(PL)]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number LR 11 (37), dated the 18th December, 1946 and were lastly amended by notification number G.S.R.655(E), dated the 10th October, 2007 and corrigendum notification number G.S.R. 708(E), dated the 13th November, 2007.